



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262037
CG-DL-E-28032025-262037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1479]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1497(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2530 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2015 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-4 (नया एनएच-69) के चित्तूर से कर्नाटक सीमा तक और एनएच-40 के चित्तूर से तमिलनाडु सीमा तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण ने एनएचआईटी साउदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("एनएसपीपीएल") जिसका पंजीकृत कार्यालय 325, तीसरा तल, डी21 कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 21, द्वारका, धूलसीरस, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110077 में है (जिसे इसके बाद "कंसेसनेयर" कहा जाए) के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 04 के किमी 134.890 से किमी 219.687 (कुल परियोजना लंबाई 84.797) तक तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - नालागामपल्ली - आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड (जिसे इसके बाद उक्त खंड कहा जाए) पर टोल लगाने, संचालन, अनुरक्षण और स्थानांतरण के लिए दिनांक 12.03.2025 को एक करार (जिसे इसके बाद उक्त करार कहा जाए) किया है।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से छूट गई हैं, अधिसूचना संख्या

का.आ. 4236 (अ) दिनांक 22.11.2019 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय, निवेश की गई पूंजी पर व्याज, उचित रिटर्न, यातायात की संख्या और प्राधिकरण और कंसेसनेयर के साथ किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 71.5498 किमी निवल सड़क खंड लंबाई और 1.572 किमी (0.1572 किमी लंबाई वाली) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 13.090 किमी लंबाई वाली चार लेन बाईपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्धृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त कंसेसनेयर को वाणिज्यिक संचालन की तिथि या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी - 1

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में) |
|--|--|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले) | 4.20 |

1. इसके अंतर्गत उदग्रहित और संग्रहीत शुल्क ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

| सारणी-2 | | |
|--|---|---|
| शुल्क प्लाजा का अवस्थान | (लंबाई कि.मी.) जिसके लिए शुल्क संदेय है | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
| आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में महासमुद्रम गांव के पास एन एच-4 के किमी 164+100 पर | 71.5498 | चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा:

| सारणी-3 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज़) | बाइपास का नाम | पर आरंभ होते हुए (कि.मी. में) | पर मिलते हुए (कि.मी. में) | बाईपास की लम्बाई जिसके लिए शुल्क देय है (कि.मी. में) | बाईपास की लागत (करोड़ रुपए में) | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
| आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में महासमुद्रम गांव के पास एन एच- | बंगारुपलयम बाईपास | 172.765 | 178.310 | 5.545 | 75.41 | चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में |
| | पालमनेरू | 192.845 | 200.390 | 7.545 | 102.61 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--------|--------|----------------------------|
| 4 के किमी 164+100 पर | बाईपास | | | | उल्लिखित आधार दरों का 150% |
| कुल (किमी) | | | 13.090 | 178.02 | |

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं) 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लम्बाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लम्बाई में अवसंरचनाओं की लम्बाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

| सारणी-4 | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| शुल्क प्लाजा का अवस्थान (मौजूदा किलोमीटर [किमी]) | संरचनाओं की लंबाई को समतुल्य (किमी में) सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाएगा | समतुल्य सड़क की लंबाई (किमी में) | वह दर जिस पर शुल्क देय है) |
| आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में महासमुद्रम गांव के पास एन एच-4 के किमी 164+100 पर | 0.1572 [^] | 1.572 | चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

[^]संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) का विवरण निम्नानुसार है: -

| क्र. सं. | मौजूदा किलोमीटर (किमी) | | संरचना का प्रकार | कुल लंबाई (किमी.) |
|-----------|------------------------|----------|--|-------------------|
| | से | को | | |
| 1 | 136.3059 | 136.3931 | आरओबी (किमी 136.350 पर) | 0.0872 |
| 2 | 201.584 | 201.654 | बड़ा पुल (खुली नींव पर गोलाकार खंभे के साथ पीएससी। गर्डर अधिसंरचना आरसीसी) | 0.070 |
| कुल लंबाई | | | | 0.1572 |

4. प्राधिकरण यांत्रिक वाहनों पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क दर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के नियम 4(5) और नियम 4(6) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि तालिका-1 में विनिर्दिष्ट है।

5. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किकी दूरी के .मी. भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2024-25 के लिए 340.000/-रूपए तीन सौ चालीस) है और (रूपए मात्रउक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| सारणी-5 | | |
|---|---|-----------------------------|
| संदेय धनराशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | भुगतान के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास | भुगतान की तारीख से एक मास |

7. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

8. किसी यांत्रिक वाहन पर नियमों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, तो उसे प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्- :

| अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत | आधार दर में गुणन कारक | शुल्क |
|---|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0% से 20% | दो | [[नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क] x (गुणन कारक)] |
| >20% से 40% | चार | |
| >40% से 60% | छह | |
| >60% से 80% | आठ | |
| >80% और उससे अधिक | दस | |

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कंसेसनेयर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके बाद उक्त नियम के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार इसे प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा; तथापि, बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. 6012(12)/1/2024-O/o मप्र.(वित्त-II)-भाग)3/ई-249666]

कमलेश चतुर्वेदी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1497(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO No. 2530 (E) 17.09.2015 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Chittoor to Karnataka Border of NH-4 (New NH-69) and from Chittoor to Tamil Nadu Border of New NH-40 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with NHIT Southern Projects Private Limited (“NSPPL”), and having its registered office at 325, 3rd Floor, D21 Corporate Park, Sector 21, Dwarka, Dhulsiras, New Delhi, South West Delhi-110077. (hereinafter referred to as “Concessionaire”) on

12.03.2025 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer of TN/AP Border – Nalagampalli – AP/ Karnataka Border section from km 134.890 to km 219.687 (Total Project length 84.797) of National Highway No. 04, in the state of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said section).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the Notification Number S.O. No. 4236 (E) dated 22.11.2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rates specified in column (2) of Table -1 below for net road section length 71.5498 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.572 km (having length of 0.1572 km) and one and one half times of the base rate for use of bypasses, costing rupees 10 crore or more , having length of 13.090 km for four lane section on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Date of commercial operation or publication or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement;

Table 1

| Type of vehicle (1) | Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees) (2) |
|--|---|
| Car, Jeep, Van, or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle (four to six axles) Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the net road length specified for such Toll Plaza:-

| Table-2 | | |
|--|---|---|
| Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km]) | Length (in km) for which Fee is Payable | Rate at which Fee is payable |
| At km 164+100 Near Mahasamudram Village in Chittoor District of NH-4 in Andhra Pradesh | 71.5498 | 100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table -1 above |

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing more than Rs. 10 crores at the following locations:

| Table -3 | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Location of Toll Plaza (Chainage) | Name of Bypass and Location | Taking Off (in Km) | Merging off (in Km) | Length of bypass for which fee is payable (in Km) | Cost of bypass (in Rs. Crore) | Rate at which name of fee is payable |
| At km 164+100 Near Mahasamudram Village in Chittoor District of | Bangarupalyam Bypass | 172.765 | 178.310 | 5.545 | 75.41 | 150% for four or more lane, of the base rates mentioned in |
| | Palamneru Bypass | 192.845 | 200.390 | 7.545 | 102.61 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--------|--------|----------------|
| NH-4 in Andhra Pradesh | | | | | | Table -1 above |
| Total (Km) | | | | 13.090 | 178.02 | |

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

| Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km]) | Length of structure (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) | Rate at which fee is payable |
|--|---|--------------------------------|--|
| At km 164+100 Near Mahasamudram Village in Chittoor District of NH-4 in Andhra Pradesh | 0.1572* | 1.572 | 100% of the base rates mentioned in Table -1 above |

*The details of structures (>60m length) are as under:-

| S. No | Existing Kilometer (km) | | Type of Structure | Total Length (km.) |
|---------------------|-------------------------|----------|--|--------------------|
| | From | To | | |
| 1 | 136.3059 | 136.3931 | ROB (At km 136.350) | 0.0872 |
| 2 | 201.584 | 201.654 | Major Bridge (with PSC I Girder Superstructure RCC circular pier on open Foundation) | 0.070 |
| Total Length | | | | 0.1572 |

4. The Authority shall ensure compliance with Rule 4(5) and Rule 4(6) of the NH Fee Rules while determining the user fee rate to be levied on mechanical vehicles, as specified in Table-1.

5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 5

| Amount Payable | Maximum number of one-way journeys allowed | Period of validity |
|--|--|--|
| One and half times of the fee for one-way journey | Two | Twenty-four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys | Fifty | One month from date of payment |

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

8. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules, namely: -

| Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight | Multiplying Factor to the base rate | Fees |
|---|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 0% to 20% | Two | [(Fees applicable for such category of |

| | | |
|----------------|-------|---|
| >20% to 40% | Four | mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)] |
| >40% to 60% | Six | |
| >60% to 80% | Eight | |
| >80% and Above | Ten | |

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rule and provisions of the concession agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. FINDIV-16012(12)/1/2024-O/oGM (Finance-II)-Part(3)/E-249666]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.